फर्द अहकाम
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 88/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/134) **श्री संतोष भील बनाम नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.08.2024	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री गिरधारीलाल शर्मा - वकील अपीलार्थी 2. श्री दिलीप सुथार - वकील प्रत्यर्थी-1 3. श्री मनीष मोगरा - वकील प्रत्यर्थी-2 व 3 **अनवान** 1. श्री संतोष भील पिता श्री देवीलाल भील, निवासी रघुनाथपुरा, तहसील बड़गावं, जिला उदयपुर। **अपीलार्थी** 1. नगर विकास प्रन्यास जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर। 2. श्री बाबुलाल पिता श्री जालमा भील, निवासी 49 सवीना खेड़ा-ग्रामीण, तहसील गिर्वा -दुसरा पताः 266 कृष्णपुरा, उदयपुर। 3. श्रीमती गीता देवी पत्नि श्री हुरमाल साजिया भील, निवासी 44-45 भिखारीनाथ जी का मठ, उदयपुर - दुसरा पताः गांव झाड़ोल (फ) तहसील झाड़ोल, उदयपुर। **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 90क राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध प्राधिकृत अधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित आदेश क्रमांक एलयु/2012/उदय/2022-23/101373 निर्णय दिनांक 13.01.2023** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 12.08.2024 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित आदेश क्रमांक एलयु/2012/उदय/2022-23/101373 निर्णय दिनांक 13.01.2023 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 90क राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • खातेदार श्री बाबुलाल, श्रीमती चौसर, श्रीमती गीता देवी एवं श्रीमती लक्ष्मीबाई भील द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर समक्ष राजस्व ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील बड़गावं के आराजी संख्या 118, 119, 120, 172 से 177, 179 से 182, 194, 112/4, 112/5, 116मी, 116/1, 117/1, 117मी, 178/1, 178/2 रकबा 0.18379 हेक्टेयर कृषि भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ खातेदारी अधिकार समर्पण किये जाने बबात राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90क के अधीन कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन को प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को स्वीकार करते आदेश क्रमांक एलयु/2012/उदय/2022-23/101373 निर्णय दिनांक 13.01.2023 अन्तर्गत धारा-90क एलआर एक्ट का पारित किया। नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के उक्त आदेश क्रमांक आदेश क्रमांक एलयु/2012/उदय/2022-23/101373 निर्णय दिनांक 13.01.2023 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना धारा-5 मयाद अधिनियम प्रस्तुत नहीं किया जिस पर आपत्ति आरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 88/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/134) **श्री संतोष भील बनाम नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 08.08.2024 को अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। उपस्थित अधिवक्तागण की प्रकरण में मयाद के बिन्दु, दफा 96 जादी के बिन्दु एवं प्रकरण में गुणावगुण पर बहस सुनी गई। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है** कि अपीलार्थी संतोष भील व उसके पिता श्री देवीलाल भील का राजस्व ग्राम रघुनाथपुरा की आराजी संख्या 118, 119, 120 पर विगत 40-50 वर्षो से काबिज हो कृषि कार्य करते आ रहे है। उक्त भूमि संतोष भील के नानाजी की थी जो संतोष भील की माता को उसके पिता ने भरण पोषण हेतु उक्त आराजीयात सुपुर्द की थी, तब वह काबिज है। उक्त भूमि प्रत्यर्थी-2 व 3 के नाम आई इस बात की जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी, जब उक्त भूमि से अपीलार्थी को बेदखल करने आये तो उसके तीनों आराजीयात प्रत्यर्थी-2 व 3 के नाम दर्ज हो गई है और उक्त भूमि का नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर से भु-रूपान्तरण हेतु आवेदन कर रखा है, जिस पर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष आपत्ति पेश की थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आपत्ति को अनदेखा कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर उक्त तीनों आराजीयात के संबंध में पारित अपीलाधीन आदेश को खारिज फरमाया जावें। **अधीनस्थ न्यायालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता** द्वारा अपने कथन में प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राविधित प्रक्रिया का पालन करते हुए आदेश अन्तर्गत धारा-90क का आदेश पारित किया जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें। **प्रत्यर्थी-2 से 3 द्वारा उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी लिखित प्रारम्भिक आपत्ति एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया कि** अपीलार्थी द्वारा मिथ्या आधारों पर बिना किसी आधार के हस्तगत अपील पेश की है। उक्त अपील पेश करने का उसको अधिकार नहीं है, क्योंकि विवादित तीनों आराजीयात कभी भी उनके खाते में नहीं रही है, न ही उसके द्वारा न्यायालय में अपील पेश करने की स्वीकृति ली गई। उक्त आदेश की जानकारी अपीलार्थी को आरम्भ से ही थी क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष उसके द्वारा आपत्ति पेश की गई, जिस पर पूर्ण विचार विश्लेषण उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपील मयाद बाधित है, मयाद उपशमन हेतु कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है, जो आज्ञापक प्रावधान है। उक्त भूमि पर अपीलार्थी को कोई कब्जा नहीं है, न ही कब्जे के साक्ष्य पेश किये गये है। अपीलार्थी द्वारा नगर विकास प्रन्यास की टिप्पणी के आधार पर अपना आधार बताने का प्रयास किया जा रहा है जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलार्थी द्वारा नाजायज रूप से उक्त भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की गई, इस पर प्रत्यर्थी की ओर से एक प्रथम सूचना रिपोर्ट भी अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज करवाई गई। इस प्रकार मात्र अन्य समस्त आराजीयात की भूमि के प्लान में अनाश्वयक देरी नहीं होने के कारण आराजी संख्या 118, 119, 120 के पट्टे की कार्यवाही को कुछ समय के लिए अलग किया गया, जिससे कोई हक व अधिकार अपीलार्थी को प्राप्त नहीं होते है। अपीलार्थी के पिता श्री देवीलाल द्वारा पूर्व में भी माननीय ग्राम न्यायालय, उदयपुर में इस आशय का वाद प्रस्तुत किया गया जो वाद प्रारम्भिक स्तर पर ही दिनांक 11.10.2022 को अन्तर्गत प्रकरण संख्या 369/2022 के खारिज	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 88/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/134) **श्री संतोष भील बनाम नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया गया। फिर भी अपीलार्थी को किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिली तो अपीलार्थी द्वारा यह अपील पुनः प्रस्तुत कर दी जिसमें विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई। अपीलार्थी एवं उसके पिता द्वारा पूर्व में भी नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर में आपत्ति पेश की गई थी जिसे विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए दिनांक 10.01.2023 को सारहीन मानते हुए खारिज कर दी गई थी। प्रस्तुत अपील मयाद बाधित है, मयाद उपशमन हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी पक्षकार नहीं था जिससे अपील पेश करने हेतु स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन एवं परिशीलन किया।

जैसा की उपरोक्त पेरा में अंकित किया गया है कि अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी मय शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए हस्तगत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। जब कभी भी कोई अपील निर्धारित अपील मियाद के बाद पेश की जाती है तो सर्वप्रथम आदेश 41 नियम 03ए सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार मियाद के बिन्दु का विनिश्चय किया जाना आवश्यक है और इस संबंध में आदेश 41 नियम 3ए सीपीसी के प्रावधान महत्वपूर्ण है जो निम्न प्रकार हैं-

Order 41 Rule 3 (A). Application for condonation of delay - (1) when and appeal is presented after the expiry of the period of limitation specified therefore, it shall be accompanied by an application supported by affidavit setting forth the facts on which the appellant relies to satisfy the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal within such period.
(2) if the court sees no reason to reject the application without the issue of a notice to the respondent, notice their of shall be issued to the respondent and the matter shall be finally decided by the court before it proceeds to deal with the appeal under rule 11 or rule 13 comma as the case may be.
(3) where an application has been made under Sab rule (1), the court Shall not make an order for the stay of execution of the decree against which the appeal is proposed to be filed so long as the court doesn't, after hearing under rule 11, decide to hear the appeal.

न्यायिक दृष्टान्त 2006 आरबीजे (13) पेज 78 में भी माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश 41 नियम 3-ए व परिसीमा अधिनियम की धारा 5 की विवेचना करते हुए उल्लेख किया है कि देरी को कण्डोन किय बिना अपील पोषणीय नहीं है। Without condonation of delay appeal is not competent.

हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ अपील पेश करने में हुई देरी को उपशमित करने हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जबकि उक्त प्रावधानोनुसार यह आज्ञापक प्रावधान है, ऐसें में प्रस्तुत अपील विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना में पेश नहीं होने से इस बिन्दु पर निरस्तनीय है।

हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन आदेश से व्यथित व्यक्ति होने के संबंध में विभिन्न उजरात प्रस्तुत किये जिसके खण्डन में अधिवक्ता

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 88/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/134) **श्री संतोष भील बनाम नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रत्यर्थी-2 व3 द्वारा दृढ़ता से अपनी आपत्ति प्रस्तुत करते हुए अपीलार्थी द्वारा विधि के आज्ञापक प्रावधानों के दृष्टिगत अपील पेश करने की अनुमति स्वरूप प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी की पेश नहीं किया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना की जानी चाहिये। विधि में जाप्ता दीवानी के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने के लिए दफा 96 जाप्ता दीवानी एवं आदेश 41 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के अन्तर्गत ही अपील की जा सकती है। अपील किये जाने के लिए सिर्फ अधीनस्थ न्यायालय के पक्षकार द्वारा ही अपील प्रस्तुत किये जाने का अधिकार है। यदि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से अन्य कोई व्यक्ति व्यथित पक्षकार है तो उसे अपील प्रस्तुत करने से पूर्व दफा 96 जाप्ता दीवानी के तहत पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये जाने के आज्ञापक प्रावधानों व अनेकानेक न्यायिक दृष्टान्त उपलब्ध है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा उक्त आज्ञापक प्रावधानों के तहत न्यायालय से अपील पेश करने की स्वीकृत स्वरूप प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का पेश नहीं किया, जो एक आज्ञापक प्रावधान है। ऐसें में प्रस्तुत अपील विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना में पेश नहीं होने से इस बिन्दु पर निरस्तनीय है। उपरोक्त विवेचन से यह जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की है, जिससे यह अपील निरस्तनीय है। फिर भी यह न्यायालय नैसर्गिक न्यायालय के सिद्धान्त के दृष्टिगत हस्तगत प्रकरण गुणावगुण पर विवेचन किया जाना उचित समझता है, जिसका यह अर्थ नहीं है कि हस्तगत अपील में मयाद उपशमित की और अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दे दी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि खातेदार श्री बाबुलाल, श्रीमती चौसर, श्रीमती गीता देवी एवं श्रीमती लक्ष्मीबाई भील द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर समक्ष राजस्व ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील बड़गावं के आराजी संख्या 118, 119, 120, 172 से 177, 179 से 182, 194, 112/4, 112/5, 116मी, 116/1, 117/1, 117मी, 178/1, 178/2 रकबा 0.18379 हेक्टेयर कृषि भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ खातेदारी अधिकार समर्पण किये जाने बबात राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90क के अधीन कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जमाबंदी के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में अभिलिखित खातेदारान ने अपनी खातेदारी की आराजी का रूपान्तरण करवाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदित आराजीयात की भूमि के संबंध में दैनिक भास्कर में दिनांक 17.06.2022 एवं 19.07.2022 के अंक में प्रकाशित कर सर्व साधारण से आपत्ति आमंत्रित की गई। प्रकरण में अपीलार्थी एवं उसके पिता की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत आपत्ति के क्रम में न्यास के पत्र दिनांक 03.08. 2021, 09.02.2022, 27.09.2022 से आपत्तिकर्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। उक्त प्रकरण में एक आपत्ति श्रीमती धर्मीबाई द्वारा भी पेश की गई थी जिसे उनके द्वारा पत्र दिनांक 23.09.2022 से विड्रो कर लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध कार्यालय टिप्पणी दिनांक 10.01.2023 को प्रस्तुत आपत्ति पर रिपोर्ट प्राप्त आपत्तियां आधारहीन होना पाये जाने का अंकन किया गया। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम न्यायालय का निर्णय भी अपीलार्थी के विरूद्ध निस्तारित होना पाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, विभिन्न न्यायालयों के निर्णय एवं संबंधित शाखा से प्राप्त	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 88/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/134) **श्री संतोष भील बनाम नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	टिप्पणी व राय के अवलोकन से यह जाहिर आया है कि अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के समय प्रकरण में किसी भी न्यायालय में कोई विवाद नहीं था, न ही स्थगन प्रभाव में था, जिससे धारा-90क की कार्यवाही को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रोका जाना चाहिए था। तत्पश्चात प्रकरण में न्यास की ले-आउट प्लान समिति द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ प्लान अनुमोदित किया गया। रूपान्तरण हेतु तहसीलदार एवं स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट प्राप्त हुई। तत्पश्चात प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के परिक्षण उपरान्त यह पाया कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-90क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है। इन तथ्यों अनुसरण में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकार करते हुए आवेदित भूमि के संबंध में अपीलाधीन आदेश अन्तर्गत धारा-90क राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 दिनांक 13.01.2023 को खातेदार प्रत्यर्थी-2 व 3 एवं अन्य के पक्ष में पारित किया। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में अभिलिखित खातेदार ने अपनी खातेदारी की आराजी का रूपान्तरण करवाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बाद जांच नियमानुसार कार्यवाही करते हुए विवादित आराजी के रूपान्तरण आदेश पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। इस संबंध मे हम माननीय राजस्व मण्डल राजस्थाान अजमेर में निम्नांकित दृष्टांत का भी उल्लेख किया जाना उचित पाते है: **RBJ 2014(21) Page 97**: Rajasthan Land Revenue Act, 1956 – Section 90B – When the Khatedar tenant of the land applies for conversion of his khatedari land before authorized officer and after enquiry as per Rules for conversion of land order is passed. Order of conversion cannot be interfered in revision. प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में अभिलिखित खातेदारान ने अपनी खातेदारी की आराजी का रूपान्तरण करवाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बाद जांच नियमानुसार कार्यवाही करते हुए विवादित आराजी के रूपान्तरण आदेश पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित रूपान्तरण आदेश में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं होता है। Revision petition dismissed. उपरोक्त विवेचनानुसार एवं न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यथित व्यक्ति नहीं है, जिसे यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है और प्रस्तुत अपील मयाद बाधित भी है। अपीलार्थी द्वारा विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना भी नहीं की गई जिससे अपील तकनिकी बिन्दुओं पर निरस्तनीय है।	

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 88/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/134) **श्री संतोष भील बनाम नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गुणावगुण पर प्रकरण के विस्तृत विश्लेषण एवं परिक्षणोपरांत भी यह पाया गया कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बाद जांच नियमानुसार कार्यवाही करते हुए विवादित आराजी के रूपान्तरण आदेश पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। **परिणामतः अपील अपीलान्ट मयाद बाधित होने, अपीलार्थी के व्यथित व्यक्ति नहीं होने से, विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं होने से एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज की जाती है।** अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.01.2023 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (सी.आर.देवासी) R.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	